

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/58147/BJN/BIJNOR/357/CFO

दिनांक: 14-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PUSHP NIKETAN SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **205-3 VILL-ALLEHPUR NEAR DHAMPUR SUGAR MILLS LTD,SUGAR MILL ROAD DHAMPUR,DHAMPUR BIJNOR** तहसील - **DHAMPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	3	0	11.20 mt.

तथा प्लॉट एरिया **13420.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **PUSHP NIKETAN SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-08-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIJAY KUMAR GUPTA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-08-2025** से **17-08-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : एफएसएसओ श्री दीपक कुमार द्वारा अपलोड अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो उनकी संस्तुति आख्या के अनुसार अग्निशमन विभाग से पूर्व में UID NO-UPFS-2022-58147-BJN-BIJNOR-357-CFO DATE -04-08-2022 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए०एम०सी०/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर नवीनीकरण निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Rajeev Kumar Pandey)

[CE1C216539CD27F8EC5D8E75C5BA91CD8952485C]

18-08-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-08-2025
स्थान : BIJNOR